

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
भारतीय खाद्य निगम,
विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 12 फरवरी, 2018

विषय-भारत सरकार के पत्र संख्या: 5-1/2017-डेस्क (एम०डी०एम०) दिनांक 10 जनवरी, 2018 एवं पत्र संख्या 4-2/2017-बीपी-11 दिनांक 29 जनवरी, 2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की चतुर्थ त्रैमास, 2017 (जनवरी, 2018 से मार्च 2018) हेतु अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या: 5-1/2017-डेस्क (एम०डी०एम०) दिनांक 10 जनवरी, 2018 एवं पत्र संख्या 4-2/2017-बीपी-11 दिनांक 29 जनवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमास, 2017 (जनवरी, 2018 से मार्च, 2018) हेतु क्रमशः 4310.32 मी०टन गेहूं एवं 8751.25 मी०टन चावल अर्थात् कुल-13061.57 मी०टन अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्र दिनांक 01.02.2018 द्वारा किये गये प्रस्तावानुसार भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास, 2017 (जनवरी, 2018 से मार्च, 2018) हेतु विवरणानुसार जनपदों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन किया जा रहा है:-


(मात्रा मी०टन में)

क्रमांक	जनपद	वित्तीय वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमास (जनवरी, 2018 से मार्च, 2018) हेतु अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन (मात्रा मी०टन में)	
		गेहूं	चावल
1	2	3	4
1	बाराबंकी	152.000	250.000
2	बरेली	160.000	950.000
3	बिजनौर	133.000	200.000
4	गौतमबुद्धनगर	170.000	230.000
5	कन्नौज	161.000	300.000
6	कानपुर देहात	600.000	850.000
7	कानपुर नगर	263.000	300.000
8	लखीमपुर खीरी	800.000	1700.000

9	महराजगंज	321.000	300.000
10	मथुरा	56.000	300.000
11	रामपुर	350.000	750.000
12	सिद्धार्थनगर	934.320	1721.250
13	कौशाम्बी	110.000	450.000
14	शामली	100.000	450.000
योग		4310.320	8751.250

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या: 5-1/2017-डेस्क (एम0डी0एम0) दिनांक 10.01.2018 एवं 4-2/2017-बीपी-11 दिनांक 29.01.2018 एवं के अनुसार जनपदों हेतु आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास, 2017 (जनवरी, 2018 से मार्च, 2018) हेतु आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष खाद्यान्न उठान हेतु वैधता अवधि चतुर्थ त्रैमास हेतु आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 25.03.2018 तक होगी।

अतः जनपदवार/विवरणानुसार खाद्यान्न आवंटन का उठान निर्धारित अवधि में कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

 (देव प्रताप सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-276(1)/79-6-2018 तद्दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- निदेशक, (एम0डी0एम0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
 - 2- अधिशासी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, बारखम्मा रोड, नई दिल्ली।
 - 3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-म0भो0प्र0 /खा/आवंटन/5898/2017-18 दिनांक 01.02.2018 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
 - 4- आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 गोखले मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में खाद्यान्न उठान की कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
 - 5- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद उ0प्र0।

9	महाराजगंज	321.000	300.000
10	मथुरा	56.000	300.000
11	रामपुर	350.000	750.000
12	सिद्धार्थनगर	934.320	1721.250
13	कौशाम्बी	110.000	450.000
14	शामली	100.000	450.000
योग		4310.320	8751.250

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या: 5-1/2017-डेस्क (एम0डी0एम0) दिनांक 10.01.2018 एवं 4-2/2017-बीपी-11 दिनांक 29.01.2018 एवं के अनुसार जनपदों हेतु आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास, 2017 (जनवरी, 2018 से मार्च, 2018) हेतु आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष खाद्यान्न उठान हेतु वैधता अवधि चतुर्थ त्रैमास हेतु आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 25.03.2018 तक होगी।

अतः जनपदवार/विवरणानुसार खाद्यान्न आवंटन का उठान निर्धारित अवधि में कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-276(1)/79-6-2018 तद्दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- निदेशक, (एम0डी0एम0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
 - 2- अधिशासी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, बारखम्मा रोड, नई दिल्ली।
 - 3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-म0भो0प्रा0/खा/आवंटन/5898/2017-18 दिनांक 01.02.2018 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
 - 4- आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 गोखले मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में खाद्यान्न उठान की कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
 - 5- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद उ0प्र0।